न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(1)

समक्ष : **आर.के. जैन**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2322 विरूद्ध आदेश दिनांक 12-07-2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ प्रकरण क्रमांक 82/अपील/2016-17

---

1. दामोदर तनय हल्कू कुशवाहा
2. नंदराम तनय हल्कू कुशवाहा

निवासीगण ग्राम पठा, तहसील व जिला टीकमगढ़ म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

गणेश प्रसाद कुशवाहा तनय नन्ना कुशवाहा
निवासीगण ग्राम पठा विजयपुर तहसील महरौनी
जिला ललितपुर उ.प्र .....अनावेदकगण

श्री जी.पी. नायक, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित दिनांक 12-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार समर्रा द्वारा ग्राम पठा खास की नामांतरण पंजी क्रमांक 14 में पारित आदेश दिनांक 22-11-2002 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 02-12-2016 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई ।

(1)

15

साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 82/अपील/2015-16 दर्ज कर दिनांक 12-07-2017 को आदेश पारित कर विलम्ब सदभावी मानते हुए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा उनके समक्ष अपील प्रकरण में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर उभयपक्षों के अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में इस स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाती है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-07-2017 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(आर.के. जैन)
2/7/18
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

(2)

13.